भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3890

उत्तर देने की तारीख 24.03.2025

बिहार में कलाकारों का कल्याण और विकास

3890. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**

श्री रामप्रीत मंडल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार राज्य में कला, संस्कृति, नृत्य-नाटक और गीत आदि प्रदर्शित करने वाले कलाकारों के कल्याण और विकास के लिए कोई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ख) क्या देश के सभी राज्यों में ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यक्रम पर व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का भविष्य में बिहार राज्य में ऐसे किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का विचार है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): जी, हां। संस्कृति मंत्रालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें संचालित की जाती हैं जिनके तहत बिहार राज्य सहित, पूरे देश में मंच कला, संस्कृति, नृत्य-नाटक और गीत आदि के कलाकारों के कल्याण और विकास के लिए कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है

(ग): विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार राज्य सहित सभी राज्यों में विभिन्न स्कीमों के तहत सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तिग कलाकारों को वर्ष-वार और स्कीम-वार जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(घ): ये सभी स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं और बिहार राज्य सहित पूरे देश में पहले से ही क्रियान्वित की जा रही हैं।

अनुलग्नक-I

'बिहार में कलाकारों का कल्याण और विकास' के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3890 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. **गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत और नृत्य के क्षेत्र में 01 गुरु और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। कलाकार की आयु के आधार पर गुरु के लिए सहायता की राशि 15000/- रु. प्रति माह है और शिष्य के लिए यह राशि 2000-10000/- रुपये प्रति माह है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम के निम्नलिखित उप घटक हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहयता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

V. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vii. **स्थानीय महोत्सव और मेले**

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 38.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

3. **टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन, ग्रीन रुम आदि के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों / निकायों, नगर निगमों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्धन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए आमतौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत प्राप्तकर्ता राज्य सरकार/एनजीओ द्वारा या पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं हेतु संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त, केन्द्रीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी (समतुल्य हिस्सेदारी) का अनुपात 60:40 है।

4. **कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम** : इस स्कीम में निम्नलिखित 03 घटक हैं:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों (वरिष्ठ) को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्मों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 5000/- रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में पहचान की गई अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 तक अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 तक छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु तथा 72,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम वार्षिक आय वाले उन वयोवृद्ध कलाकारों को 6000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कला, साहित्य आदि के उनके विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, यह वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को अंतरित की जाएगी।

अनुलग्नक-II

'बिहार में कलाकारों का कल्याण और विकास' के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3890 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु अधिकृत राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	2	4.18	2	5.52	6	16.42	16	40.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	4.80	-	-	-	-	-	-
3.	असम	11	108.9	7	53.4	24	227.1	37	2214.54	54	277.54
4.	बिहार	23	151.74	33	181.6	30	190.8	64	363.82	158	697.37
5.	चंडीगढ़	-	-	1	14.16	1	14.16	5	49.20	10	69.96
6.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	9	33.52
7.	दिल्ली	43	348.66	54	439.6	63	535.16	98	793.36	161	1065.18
8.	गुजरात	4	13.20	8	44.96	5	29.16	4	27.84	13	71.42
9.	हरियाणा	11	49.68	4	21.94	4	30.84	24	93.06	23	124.2
10.	हिमाचल प्रदेश	5	52.32	1	9.84	4	48.06	4	51.12	5	55.28
11.	जम्मू और कश्मीर	7	23.28	9	59.58	7	51.48	15	120.84	37	118.2
12.	झारखंड	2	13.02	1	2.64	2	21.54	13	69.18	18	100.64
13.	कर्नाटक	76	624.30	47	291.9	60	470.04	113	807.4	201	1009.94
14.	केरल	15	115.20	9	90.6	9	81.12	37	264.44	38	318.06
15.	मध्य प्रदेश	33	231.3	42	294.12	34	236.5	73	525.48	106	687.19
16.	महाराष्ट्र	26	197.76	23	156.04	33	237.36	41	307.66	97	625.7
17.	मणिपुर	49	382.38	62	420.5	96	669.78	147	900.72	173	973.68
18.	मिजोरम	1	5.52	-	-	-	-	4	26.64	2	10.9
19.	नागालैंड	-	-	-	-	1	5.52	2	8.88	1	6.96
20.	ओडिशा	18	91.62	22	107.0	27	152.16	55	289.2	115	515.29
21.	पुदुचेरी	2	11.28	2	12.72	-	-	5	50.04	3	32.52
22.	पंजाब	4	17.40	3	24.48	5	37.44	6	43.56	10	66.68
23.	राजस्थान	5	31.80	2	16.32	9	57.12	17	95.20	32	123.52
25.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	1	2.64	3	7.02
26.	तमिलनाडु	5	26.59	10	49.54	4	17.28	19	108.6	22	143.02
27.	तेलंगाना	10	62.14	7	75.00	9	82.56	17	153.02	19	109.52
28.	त्रिपुरा	4	24.96	1	6.36	1	7.68	1	6.24	14	57.12
29.	उत्तराखंड	6	9.72	6	20.86	5	23.04	16	80.86	17	65.96
30.	उत्तर प्रदेश	39	242.84	33	161.5	26	195.32	57	293.97	107	438.32
31.	पश्चिम बंगाल	175	1160.10	139	916.3	112	821.76	333	2060.80	418	2288.48
	कुल	**574**	**3995.75**	**529**	**3480.1**	**573**	**4248.58**	**1214**	**7824.73**	**1882**	**10133.5**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता भुगतान हेतु केन्द्रीय नोडल अभिकरण मॉड्यूल के माध्यम से जारी की गई।

रामकृष्ण मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु अधिकृत राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	1	22.5	1	7.50
2.	असम	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.50
3.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.00
4.	दिल्ली	4	67.28	3	141.25	1	5.99	7	241.25	11	276.25
5.	कर्नाटक	1	7.44	0	0	0	0	1	22.5	-	-
6.	केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.75
7.	महाराष्ट्र	1	5.81	0	0	0	0	-	-	1	15.00
8.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	0.59	-	-
9.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	-	-	1	8.75
10.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	3.75	-	-
11.	राजस्थान	0	0	1	21.25	1	5	1	37.5	1	26.25
12.	उत्तर प्रदेश	1	12.5	1	45	1	12.5	2	93.75	1	22.50
13.	पश्चिम बंगाल (उत्तर परगना)	0	0	0	0	2	6.75	-	-	2	37.50
14.	आर. के. मिशन, पश्चिम बंगाल	1	608	1	722.96	1	728	1	738.56	1	766.50
कुल		**8**	**701.03**	**6**	**930.46**	**6**	**758.24**	**15**	**1160.4**	**22**	**1216.5**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		**2020-2021**		**2021-2022**		**2022-2023**		**2023-24***	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की सं.	जारी की गई राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	16	13.75	34	23.06	54	66.67	65	62.85	83	80.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	1.00	1	0.375	1	2.25	-	-	-	-
3.	असम	20	20.13	35	30.12	25	34.66	48	96.21	39	41.54
4.	बिहार	43	52.18	51	42.94	67	95.26	123	203.20	126	164.08
5.	चंडीगढ़	-	-	7	11.75	4	8.25	01	0.50	3	21.69
6.	छत्तीसगढ़	-	-	6	8.75	6	13.03	03	5.50	4	7.50
7.	दिल्ली	102	195.13	144	263.21	119	263.42	167	408.06	204	384.02
8.	गोवा	1	0.375	1	0.75	2	3.75	01	0.625	-	-
9.	गुजरात	7	8.50	13	18.43	11	19.12	17	23.40	16	12.34
10.	हरियाणा	18	24.18	28	43.26	24	42.43	28	62.59	36	74.72
11.	हिमाचल प्रदेश	5	5.96	7	4.20	14	21.91	08	11.00	15	25.75
12.	जम्मू और कश्मीर	12	16.32	32	28.31	41	43.63	52	50.33	49	45.00
13.	झारखंड	2	2.50	1	0.50	6	11.37	11	14.26	7	8.75
14.	कर्नाटक	146	121.78	194	205.70	203	284.60	218	349.42	220	228.10
15.	केरल	16	28.00	23	37.03	28	57.52	30	48.38	30	58.27
16.	मध्य प्रदेश	51	47.59	77	79.78	94	200.12	141	264.90	161	274.50
17.	महाराष्ट्र	21	38.97	34	56.27	27	63.63	56	104.12	34	42.26
18.	मणिपुर	60	63.11	112	112.69	93	115.04	162	196.17	126	137.03
19.	मिजोरम	-	-	2	3.00	2	1.50	-	-	-	-
20.	नागालैंड	3	4.50	3	1.04	2	2.25	5	4.62	4	1.35
21.	ओडिशा	55	64.79	131	173.81	149	182.99	180	296.88	168	312.68
22.	पुदुचेरी	2	2.37	-	-	1	3.00	-	-	-	-
23.	पंजाब	8	14.87	5	8.60	13	22.21	12	23.27	11	26.4
24.	राजस्थान	34	40.70	38	28.31	33	63.81	48	81.16	57	82.28
25.	सिक्किम	1	3.37	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	तमिलनाडु	8	14.58	27	46.15	21	34.84	15	18.87	11	13.23
27.	तेलंगाना	7	6.30	16	19.77	9	13.87	16	16.87	16	23.11
28.	त्रिपुरा	7	13.19	4	6.50	5	5.75	16	16.15	14	13.49
29.	उत्तराखंड	7	7.77	14	14.36	16	14.78	24	28.11	34	40.80
30.	उत्तर प्रदेश	131	126.78	202	167.15	235	274.55	278	343.33	268	410.75
31.	पश्चिम बंगाल	190	260.66	229	216.09	310	364.14	410	544.44	352	344.72
	कुल	**975**	**1199.0**	**1471**	**1651.9**	**1615**	**2330.3**	**2135**	**3275.2**	**2088**	**2935.06**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		**2020-2021**		**2021-2022**		**2022-2023**		**2023-2024***	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की सं.	आहरण हेतु जारी/ अधिकृत राशि (रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	19	63.12	26	98.25	32	103.5	41	117.95	34	80
2.	सिक्किम	--	--	06	26.50	06	16.50	04	10.00	3	12
3.	हिमाचल प्रदेश	21	55.67	26	69.00	37	90.25	42	98.52	43	100.5
4.	जम्मू और कश्मीर	17	25.71	14	21.50	43	73.25	69	117.02	24	39
5.	लद्दाख	05	12.00	07	24.50	06	18.00	11	34.00	2	5.5
6.	उत्तराखंड	34	73.45	49	96.25	79	171.97	58	91.24	53	74.00
कुल		**96**	**229.9**	**128**	**336.0**	**203**	**473.47**	**225**	**468.73**	**159**	**311.00**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		**2020-2021**		**2021-2022**		**2022-2023**		**2023-2024***	
		संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	संगठनों की सं.	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की सं.	आहरण हेतु जारी/अधिकृत राशि (रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	29	239.27	31	271.8	46	394.06	57	18.1	60	452.31
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	3	10.5	7	5.45	2	8	10	9.18
3.	असम	0	0	6	20.53	7	22.49	9	30	18	78
4.	बिहार	1	4.5	1	3	2	7.5	2	8.5	2	8.5
5.	चंडीगढ़	0	0	4	23.5	10	69.5	7	49.5	4	40
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	10	3	30	4	31.76	6	44.47	2	9.45
7.	हिमाचल प्रदेश	35	142.2	63	335.6	81	375.5	78	550.9	39	197.63
8.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	0	0	1	7.5	1	7.5	6	23.5	4	20
9.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	24	97.8	57	271.5	89	523.0	45	319.62	54	296.42
10.	कर्नाटक	7	23.5	27	204.02	38	212.59	33	272.8	13	72.78
11.	केरल	0	0	0	0	0	0	1	13.5	0	0
12.	मिजोरम	0	0	1	7.5	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5	29	4	30
14.	महाराष्ट्र	0	0	4	20	3	15	11	38.25	16	48
15.	मणिपुर	0	0	8	15.95	0	0	2	5.5	3	9.5
16.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	1	5	2	12
17.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	2	8.5	2	10
18.	सिक्किम	2	15.25	1	9.04	2	37.5	0	0	16	109.93
19.	त्रिपुरा	2	12.5	5	39.5	10	82.91	7	37.5	8	44.5
20.	तमिलनाडु	0	0	1	5	1	5	0	0	2	10
21.	तेलंगाना	0	0	1	15	0	0	2	22.5	3	30
22.	उत्तराखंड	21	128.9	18	168.1	34	310.8	26	252.4	5	35.5
28.	उत्तर प्रदेश	3	6.9	12	50.53	19	110.3	27	195.28	13	51,15
29.	पश्चिम बंगाल	17	24.02	29	99.25	12	40.22	72	168	96	180.2
कुल		**142**	**704.9**	**276**	**1607.9**	**366**	**2251.1**	**401**	**2601**	**376**	**1703.9**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की संख्या/राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या/राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या/राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या/राज्य सरकार	राशि (रु.)	अधिकृत संगठनों की संख्या/राज्य सरकार	आहरण हेतु जारी/प्राधिकृत राशि (रु.)
1.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	बिहार	1	15	1	15	0	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	3	45	2	15.4	2	10.3	1	5.4	0	0
4.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	0.6	1	6
5.	हिमाचल प्रदेश	1	10	1	7.5	0	0	1	7.5		
6.	कर्नाटक	4	44.35	1	6.6	1	10.25	1	4	2	11.20
7.	केरल	3	45	0	0	0	0	0	0		
8.	मध्य प्रदेश	4	38.44	1	7.5	3	20.82	1	12.79	1	6
9.	महाराष्ट्र	1	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	मणिपुर	3	18.96	2	14	6	49.8	3	26.4	1	25
11.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	1	1.4	0	0
12.	पंजाब	1	4.8	2	7.26	1	4	0	0	0	0
13.	राजस्थान	0	0	1	8.8	2	5.4	0	0	2	8
14.	तेलंगाना	1	0.8	6	31.1	2	11.93	4	15.98	6	35.23
15.	पश्चिम बंगाल	1	15	3	27	0	0	0	0	0	0
16.	असम	0	0	4	12.73	1	4	0	0	0	0
17.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	1.2	0	0	0	0
19.	दिल्ली	0	0	1	10	0	0	1	7.5	1	2
20.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	कर्नाटक	0	0	1	2.86	0	0	1	4.29	0	0
22.	केरल	0	0	1	5.51	0	0	0	0	0	0
23.	मध्य प्रदेश	3	34.62	2	22.2	3	15.35	5	34.62	1	15
	कुल	**26**	**273.4**	**29**	**193.4**	**22**	**133.05**	**21**	**123.48**	**15**	**108.43**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई।

टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		संगठनों की संख्या/ राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या /राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या/ राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या/ राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या/ राज्य सरकार	राशि (रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	1307	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	कर्नाटक	-	-	-	-	1	254.7	-	-	-	-
3.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1131.52
4.	मेघालय							1	500.0	-	-
5.	नागालैंड	1	450	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	राजस्थान	-	-	-	-	1	94.5	-	-	-	-
7.	तमिलनाडु	-	-	1	596	-	-	-	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	1	337.1
कुल		**4**	**1757**	**1**	**596**	**2**	**349.2**	**1**	**500.00**	**3**	**1468.63**

* केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों और केन्द्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, चयनित अनुदानग्राही संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केन्द्रीय नोडल अभिकरण के माध्यम से जारी की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान सम्बन्धित सी.एन.ए. को 369.57 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई। कुल जारी धनराशि 369.57 लाख रूपये में से 337.11 रूपये की धनराशि 01 संस्था को अधिकृत की गई है।

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024	
		अध्येताओं की संख्या	राशि (रु.)	अध्येताओं की संख्या	राशि (रु.)	अध्येताओं की संख्या	राशि (रु.)	अध्येताओं की संख्या	राशि (रु.)	अध्येताओं की संख्या	राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	8	6.00	12	9.60	10	13.20	12	17.40	12	11.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	3.00	1	2.40	01	2.40	-	-	02	1.20
3.	असम	55	42.00	43	37.20	51	75.60	50	58.80	70	69.60
4.	बिहार	39	31.20	29	27.60	23	32.40	31	48.00	47	44.40
5.	चंडीगढ़	2	1.20	2	1.20	-	-	03	3.60	-	-
6.	छत्तीसगढ़	30	24.00	16	14.40	22	30.00	08	11.40	12	12.00
7.	दिल्ली	86	68.40	121	117.60	113	200.80	116	178.20	101	100.80
8.	गोवा	3	2.40	4	4.20	06	12.00	01	2.40	-	-
9.	गुजरात	13	12.00	20	18.60	22	37.20	18	27.00	23	21.60
10.	हरियाणा	20	16.80	28	24.00	18	33.60	27	40.20	27	30.00
11.	हिमाचल प्रदेश	10	7.20	2	2.40	02	2.40	07	7.20	04	3.00
12.	जम्मू और कश्मीर	7	5.40	6	4.80	07	13.20	14	19.80	13	10.20
13.	झारखंड	20	18.00	24	22.20	23	44.40	15	17.40	24	30.60
14.	कर्नाटक	129	123.60	62	55.20	62	100.80	43	61.20	57	64.80
15.	केरल	82	98.40	57	52.20	43	68.40	62	85.20	60	54.00
16.	मध्य प्रदेश	70	56.40	67	64.20	67	104.40	62	93.00	82	76.20
17.	महाराष्ट्र	74	59.40	82	66.00	75	121.80	84	118.80	85	84.00
18.	मणिपुर	59	46.80	33	31.20	58	102.20	33	37.20	62	60.00
19.	**मेघालय**	-	-	-	-	01	2.40	2	1.20	-	-
20.	नागालैंड	-	-	2	1.20	03	4.80	2	1.80	03	3.00
21.	ओडिशा	80	63.60	91	85.20	108	171.40	89	129.60	90	93.60
22.	पुदुचेरी	2	1.80	4	3.60	04	7.20	04	7.20	02	1.80
23.	पंजाब	18	14.40	8	5.40	08	12.00	06	7.20	11	10.20
24.	राजस्थान	34	27.60	28	27.60	35	63.20	27	39.60	34	33.00
25.	**तमिलनाडु**	8	6.00	15	13.80	22	45.60	19	24.60	15	15.00
26.	**तेलंगाना**	20	15.60	25	21.60	17	27.60	22	27.00	28	28.80
28.	**त्रिपुरा**	10	7.20	4	2.40	06	8.40	03	3.60	06	7.80
29.	**उत्तराखंड**	5	4.20	15	12.60	10	14.40	13	21.00	13	12.60
30.	**उत्तर प्रदेश**	52	41.40	114	100.80	103	167.20	120	154.80	158	146.40
31.	**पश्चिम बंगाल**	36	28.20	67	59.40	81	115.00	87	118.20	100	93.00
कुल		**976**	**832.20**	**982**	**888.60**	**1001**	**1634.0**	**980**	**1362.6**	**1141**	**1119.0**

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम (एसवाईए)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2020-24	
		विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)
1.	अंडमान एवं निकोबार	-	-	-	-	-	-	-	-	03	0.90
2.	आंध्र प्रदेश	20	6.00	21	6.30	20	6.00	03	0.90	09	2.70
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	1.80	8	2.40	08	2.40	01	0.30	05	1.50
4.	असम	62	18.60	59	17.70	56	16.80	28	8.40	89	26.70
5.	बिहार	36	10.80	45	13.50	43	12.90	16	4.80	63	18.90
6.	चंडीगढ़	3	0.90	2	0.60	03	0.90	03	0.90	09	2.70
7.	छत्तीसगढ़	29	8.70	35	10.50	35	10.50	10	3.00	50	15.00
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	60	18.00	58	17.40	72	24.00	21	6.30	73	21.90
9.	गोवा	2	0.60	4	1.20	04	1.20	02	0.60	06	1.80
10.	गुजरात	17	5.10	25	7.50	26	7.80	05	1.50	23	6.90
11.	हरियाणा	25	7.50	30	9.00	22	6.60	05	1.50	25	7.50
12.	हिमाचल प्रदेश	4	1.20	8	2.40	04	1.20	-	-	04	1.20
13.	जम्मू और कश्मीर	13	3.90	20	6.00	16	4.80	01	0.30	09	2.70
14.	झारखंड	17	5.10	13	3.90	17	5.10	08	2.40	24	7.20
15.	कर्नाटक	63	18.90	105	31.50	80	24.00	30	9.00	97	29.10
16.	केरल	52	15.60	91	27.30	74	22.20	20	6.00	71	21.30
17.	मध्य प्रदेश	105	31.50	120	36.00	128	38.40	27	8.10	131	39.30
18.	महाराष्ट्र	111	33.30	130	39.00	132	39.60	40	12.00	127	38.10
19.	मणिपुर	31	9.30	30	9.00	30	9.00	08	2.40	39	11.70
20.	मिजोरम	1	0.30	1	0.30	01	0.30	-	-	-	-
21.	ओडिशा	61	18.30	72	21.60	75	22.50	25	7.50	97	29.10
22.	पुदुचेरी	3	0.90	2	0.60	02	0.60	-	-	-	-
23.	पंजाब	10	3.00	16	4.80	14	4.20	04	1.20	11	3.30
24.	राजस्थान	21	6.30	20	6.00	21	6.30	10	3.00	37	11.10
28.	सिक्किम	-	-	1	0.30	02	0.60	01	0.30	03	0.90
29.	तमिलनाडु	21	6.30	26	7.80	37	11.10	18	5.40	51	15.30
30.	तेलंगाना	4	1.20	13	3.90	12	3.60	03	0.90	13	3.90
31.	त्रिपुरा	4	1.20	3	0.90	03	0.90	02	0.60	10	3.00
32.	उत्तराखंड	9	2.70	12	3.60	08	2.40	03	0.90	16	4.80
33.	उत्तर प्रदेश	132	39.60	134	40.20	153	45.90	35	10.50	134	40.20
33.	पश्चिम बंगाल	164	49.20	161	48.30	195	58.50	67	20.10	278	83.70
	कुल	**1086**	**325.8**	**1265**	**379.50**	**1293**	**390.3**	**396**	**118.8**	**1507**	**452.40**

सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	02	13.50
2.	चंडीगढ़	01	3.60	-	-	01	6.00	-	-	-	-
3.	दिल्ली	-	-	01	4.80	1	2.65	-	-	-	-
4.	महाराष्ट्र	04	17.13	01	3.60	04	30.10	-	-	01	3.60
5.	तमिलनाडु	-	-	02	9.05	-	-	-	-	-	-
6.	तेलंगाना	-	-	03	10.80	1	13.50	-	-	03	18.00
कुल		**05**	**20.73**	**07**	**28.25**	**07**	**52.25**	**-**	**-**	**06**	**35.10**

वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	Financial Year									
		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024*	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	54	22.16	29	5.1	89	72.29	148	84.66	191	153.30
2.	असम	5	1.92	2	0.96	1	0.48	1	1.57	3	2.41
3.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15.47
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5.87
5.	हरियाणा	1	0.04	-	-	1	0.93	2	0.56	4	3.69
6.	झारखंड	8	1.11	8	2.28	5	3.00	7	3.59	4	3.88
7.	कर्नाटक	102	30.29	144	29.97	146	59.55	130	64.32	344	341.98
8.	केरल	83	13.34	24	8.18	57	24.49	51	25.3	67	64.21
9.	मध्य प्रदेश	16	5.41	6	2.44	12	5.04	6	3.86	7	6.95
10.	महाराष्ट्र	324	85.86	206	106.61	448	190.49	740	273.49	1239	795.97
11.	मणिपुर	13	3.08	9	3.36	16	7.84	5	0.6	13	14.7
12.	नागालैंड	1	0.04	1	0.48	2	0.92	1	0.12	2	3.28
13.	ओडिशा	238	84.04	355	119.46	828	276.95	966	306.77	1460	1063.4
14.	राजस्थान	5	0.87	2	0.07	2	1.23	2	0.71	2	1.36
15.	तमिलनाडु	36	9.92	6	0.87	22	15.49	21	14.6	41	46.96
16.	तेलंगाना	163	86.18	86	53.2	342	217.29	489	268.16	293	274.94
17.	त्रिपुरा	2	0.06	1	0.24	2	0.92	1	0.12	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	8	3.2	9	5.12	46	13.08	58	15.46	82	67.24
19.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.43
20.	पश्चिम बंगाल	25	8.26	37	5.09	32	12.31	27	11.71	35	28.53
	कुल	**1084**	**355.82**	**925**	**343.46**	**2051**	**902.30**	**2655**	**1075.6**	**3811**	**2896.57**
	एलआईसी	2104	1461.78	1075	527.85	978	639.87	996	783.58	-	-
	सकल योग	**3188**	**1817.6**	**2000**	**871.31**	**3029**	**1542.17**	**3651**	**1859.18**	**3811**	**2896.57**

*वर्ष 2023-24 से, एलआईसी के माध्यम से वित्तीय सहायता का वितरण बंद कर दिया गया है और इसे सीधे संस्कृति मंत्रालय द्वारा केनरा बैंक (स्कीम हेतु वितरण एजेंसी) के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

*****